न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, जिला–अजमेर

प्रकरण संख्या 47/2019(2019/00205)

मनीराम पुत्र सांवला जाति मीणा निवासी मेवदाकलां तहसील केकडी जिला अजमेर

––वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी

––प्रतिवादी

वादपत्र अंतर्गत धारा 88,89 व 209 आर.टी.एक्ट सपठित धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थितिः–

1. **मिठू सिंह राठौड– वकील वादी**
2. **पैरोकार सरकार –प्रतिवादी**

–:: आदेश ::– **दिनांक– 12.03.2021**

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत 2022 मे पेश हुई। वादी के अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार उपस्थित प्रकरण मे पक्षकारान को सुना गया संक्षेप मे विवरण निम्न प्रकार है

वादी ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 व 209 आर.टी.एक्ट सपठित धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी की वादग्रस्त आराजीयात वाके ग्राम छावडिया तहसील केकडी जिला अजमेर स्थित जमाबंदी संवत् 2071–74 के खाता नंबर 31 मे दर्ज आराजी मे खसरा नंबर 1396 व 1400 कि किस्म वर्कींग जमाबंदी के खाता नंबर 131 मे दर्ज पुराने खसरा नंबर 495 जो वादी का 1/2 हिस्सा व बक्तावर पुत्र हरलाल का 1/2 हिस्सा था उक्त पुराने खसरा नंबर 495 थी वर्किंग जमाबंदी मे किस्म माल दोयम व बारानी दोयम दर्ज थी। सेटलमेंट के अधिकारियो द्वारा बटवारा करके खसरा नंबर 495 का 1/2 हिस्सा वर्तमान खसरा नं. 1398 मे दर्ज कर दिया। जो कि वर्तमान पुराना खसरा नं 495 का पुरा रकबा बक्तावर के दर्ज है किन्तु वर्तमान आराजी खसरा नं. 1396 व 1400 की किस्म सेटलमेंट अधिकारीयो ने सहवन से गै.मु.रास्ता दर्ज कर दि है वर्तमान जमाबंदी मे खाता नं. 31 का सम्पूर्ण खातेदार वादी स्वयं है अतः आराजी खसरा नं. 1396 व 1400 की किस्म पुराने जमाबंदी के मुताबित वर्तमान रिकॉर्ड मे दुरस्त किये जाने हेतु दावा पेश किया है जिसे स्वीकार किया जाने की प्रार्थना की है ।

प्रकरण श्रवणाधिका एव क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा पुर्व दिनांक 5.3.2018 को जवाब/मौका रिपोर्ट पेश कि तथा आज दिनांक 12.3.2022 को तहसीलदार केकडी ने आराजी खसरा नं. 1400 मौके पर काश्त शुदा भूमि होना एवं खसरा नं. 1396 उपयोग मे आ रहा होना अपनी रिपोट मे अवगत कराया है तथा उक्त किस्म परिवर्तन से राज्य हित प्रभावित नहीं होना बताया गया । प्रस्तुत मौका रिपोर्ट शामिल पत्रावली किया गया।

वरवक्त सुनवाई प्रार्थी अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार को मजमें आम में सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा उपलब्ध मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.04.06 10:35:09 IST
Reason: SelfAttested

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत ...

Scanned with CamScanner

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का अवलोकन किया। वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष खसरा नं. 1396 व 1400 कि किस्म वर्तमान रिकॉर्ड गै.मु.रास्ता दर्ज है जिसके मिलान क्षेत्रफल अनुसार पुराने खसरा नं. 495 से बने है पुराने खसरा न. 495 की किस्म वर्किंग जमाबंदी खाता नंबर 131 मे दर्ज खसरा नं. 495 की किस्म माल दोयम व बारानी दोयम अंकित होना पाया जाता है लिहाजा वाद पत्र का संतुलन वादी के पक्ष मे होना पाया जाता है वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त भी वादी का ही होना पाया गया है इसे संशोधन करने पर राजहित प्रभावित नहीं होता है उक्त मोका रिपोर्ट पेरोकार सरकार द्वारा बताया गया। वादी व पेरोकार सराकर को सुना गया जिससे वादी का दावा स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वादी का दावा स्वीकार किया जाकर वर्तमान आराजी खसरा नं. 1396 एंव 1400 में किस्म गै.मु. रास्ता के स्थान पर वर्किग जमाबंन्दी व वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार खसरा नम्बर 1396 में किस्म माल व खसरा नम्बर 1400 में किस्म बारानी सोयम का अंकन किये जाने हेतु दावा स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 12.3.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत मे सरे इजलास सुनाया गया।

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)

न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत बैंच
तालुका विधिक सेवा समिति
केकड़ी जिला-अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.04.06 10:35:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(आदेश 20 के नियम 6 और7)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी:– विकास पंचोली (आर.ए.एस)

मनीराम पुत्र सांवला जाति मीणा निवासी मेवदाकलां तहसील केकड़ी जिला अजमेर

––वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी ––प्रतिवादी

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 88,89 राज.टी.एक्ट व सपठित धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

मुकदमा नम्बरः– राजस्व वाद 47/2019 (2019/00205)

निर्णय दिनांकः– 12.03.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर०ए०एस० उपखण्ड अधिकारी केकड़ी बहाजिरी श्री मिठू सिंह राठौड वकील वादी व पैरोकार सरकार हाजिर मुद्दावलाह पेश कर हुक्म दिया जाता है वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 88,89 राज.टी.एक्ट व सपठित धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट वादी का दावा स्वीकार किया जाकर वर्तमान आराजी खसरा नं. 1396 एंव 1400 मे किस्म गै.मु. रास्ता के स्थान पर वर्किंग जमाबंदी व वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार खसरा नं. 1396 में किस्म पाल व खसरा न. 1400 में किस्म बारानी सोयम का अंकन किये जाने हेतु दावा स्वीकार किया जाता है तहसीलदार केकड़ी राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करे।खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

चीज ....मुवलिक..वाबत.................................

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..को अदा करे

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 मार्च 2022 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत

ओहदा

मुद्दई		रूपया	पैसा	मुदयलाह		रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	....	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	....	0	0
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			स्टाम्प वजह सबूत	....		
महनताना वकील	....			महनताना वकील	....		
खर्चा गवाहान	....			खर्चा गवाहान	....		
फीस कमिश्नर	....			फीस कमिश्नर	....		
बाबत इजराय हुक्मनामा	....			बाबत इजराय हुक्मनामा	....		
मुतफरिक	....	–––	–––	मुतफरिक	....	–––	–––
मीजान	....	0	0	मीजान	.....	0	0

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी (अजमेर)

न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत बैंच
तालुका विधिक सेवा समिति
केकड़ी, अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.04.06 10:35:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner